

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 12/01/2022 को संपन्न 394वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- डॉ. दीपक सिन्हा, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय नागार्जुन स्नाकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, अध्यक्ष की अनुमति से समिति की सहायता हेतु उपस्थित रहे।

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2:

परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 4894(अ), दिनांक 23/11/2021 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया है। तदनुसार अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 05/01/2022 द्वारा दिये गये आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को उपस्थित होने बाबत पत्र जारी किया गया।

1. मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी), ग्राम-मजरकट्टा, तहसील व जिला-गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1725)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218156/2021, दिनांक 05/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-मजरकट्टा, तहसील व जिला-गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल - 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मजरकट्टा का दिनांक 26/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3045/खनि 02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.18/2021 नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 56/खनि./न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 55/खनि./न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 348/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/06/2021 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-भिलाई 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-भिलाई 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल गरियाबंद 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 1 कि.मी. की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 298 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 199 मीटर, न्यूनतम 185 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 107 मीटर, न्यूनतम 105 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है।
13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.89 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 16/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Majarkatta	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Total	1.05

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2021 एवं 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिमत/2767 गरियाबंद, दिनांक 26/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./205 गरियाबंद, दिनांक 12/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व की सीमा से 34 कि.मी. की दूरी पर है।

Bhadra

3. एल.ओ.आई. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी के नाम पर है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5839/खनि 02/रेत(Rule7)/न.क्र.38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा वैधता वृद्धि जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
4. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, मजरकट्टा में 04 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए गारलेंड ड्रेन निर्माण तथा स्कूल स्थल में फेंसिंग कर वृक्षारोपण का कार्य किए जाने हेतु प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, मजरकट्टा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-मजरकट्टा) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे - 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -**
 - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

Bhank

- iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम-मजरकट्टा, तहसील व जिला-गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.89 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स जोगीडीह क्वार्टर्जाईट क्वारी (प्रो.- श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी), ग्राम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1558)

प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 198667/2021, दिनांक 17/02/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता के विस्तारीकरण का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित क्वार्टर्जाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 84 एवं 198, कुल क्षेत्रफल- 5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-94,920 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थिति के उपरांत तकनीकी समस्या होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं हो सका। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/06/2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 19/06/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में क्वार्टर्जाईट माईन खसरा क्रमांक 84 एवं 198, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता- 11,320 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धमतरी द्वारा दिनांक 04/10/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित कालवधि के लिए मान्य थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), से विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लीलर का दिनांक 04/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - मॉडिफिकेशन ऑफ द अप्रूड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1256/जियो./क्वारी स्कीम/प्लान नं. 40/2017 रायपुर, दिनांक 19/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 935/क्वा./2020 धमतरी, दिनांक 10/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** - खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. **लीज का विवरण** - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री योगेश डाकलिया के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों की दिनांक 03/05/2019 से 02/05/2049 तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./6494 धमतरी,



दिनांक 22/12/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बागोडार 0.65 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बागोडार 0.65 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,46,724 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,26,980 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर, तथा कुल मात्रा 13,900 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार 8,430 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को स्वयं की भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान एवं क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020-21	94,920
2021-22	94,920
2022-23	92,400
2023-24	94,080
2024-25	94,080

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75	2%	1.50	Following activities at Government School, Village – Bagodar	
			Rain Water	0.50

Bh...

			Harvesting System	
			Solar Lighting System	0.50
			Plantation	0.50
			Total	1.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.98 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्द्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया गया है, जो दिनांक 14/05/2022 तक वैध है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क़शर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। समिति का मत है कि माईनिंग प्लान में क़शर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है अथवा नही के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग प्लान में क़शर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. स्थल निरीक्षण उपरांत समस्त व्यय (Capital Cost) को शामिल कर, सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/10/2021, 29/11/2021 एवं 03/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

(Signature)

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 29/11/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 11 एवं 17) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 6 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 13, 19, 25, 29 एवं 30) का पालन नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 968/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 16/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1045/जियो/क्वारी स्कीम/प्लान नं. 40/2017 रायपुर, दिनांक 30/07/2021 द्वारा लीज क्षेत्र में क्रशर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जियोलॉजिकल रिजर्व 10,46,724 टन एवं माईनेबल रिजर्व 7,88,340 टन है।
4. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 967/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 16/07/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2019	1,140.64
2020	997.2

5. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	2%	2.0	Following activities at Government Primary School, Village - Bagodar	
			Rain Water Harvesting System	1.50
			Plantation	0.50
			Total	2.00

प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एवं वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण शर्तों का पालन पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र में बाउण्ड्री पिल्लहर लगाकर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज (पार्टनर— श्री राणा अरुण कुमार सिंह), ग्राम—खैरवारी, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1718)

ऑनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईएन / 216941/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—खैरवारी, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल—1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—35,132 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/09/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2021 के माध्यम से आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

(द) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2021 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के उत्पादन में परिवर्तन किये जाने के कारण आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स देवपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री गगन नाहटा), ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1528)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /192989/2021, दिनांक 20/01/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी,

Bhank

जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 4,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गगन नाहटा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, क्षमता-12,150 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धमतरी द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार 1,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 940/खनिज/उत्पा./2021 धमतरी, दिनांक 24/05/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिसम्बर, 2016	386
2017	5,384
2018	7,036
2019	8,140
2020	7,000
1 जनवरी, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक	4,150

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 01/05/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हेरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 947/खनिज/उत्ख.यो. अनु/उ.प./2020-21 कांकेर, दिनांक 05/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96/खनिज/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96ए/खनिज/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है एवं लीज श्री गगन नाहट के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2023 तक की अवधि हेतु वैध है, जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/05/2023 से 01/05/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-धमतरी के पृ. क्रमांक/मा.चि./आर/1319 धमतरी, दिनांक 05/03/2003 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-देवपुर 0.7 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-देवपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.53 कि.मी. दूर है। बलका नदी 0.26 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 41,83,290 टन एवं माईनेबल रिजर्व 16,18,461 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,570 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 50 मीटर (40 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.183 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,95,274
द्वितीय	4,00,064
तृतीय	4,22,145
चतुर्थ	4,00,004

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

Bh...

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66	2%	1.32	Following activities at Government Middle School, Village – Devpur	
			Rain Water Harvesting System	1.75
			Plantation	0.25
			Total	2.00

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गगन नाहटा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 29/11/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 10, 11, 17,

एवं 19) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 6 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 12, 20, 26, 30 एवं 31) का पालन नहीं किया गया है।

- कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उपरोक्त उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ऑनलाईन आवेदन में उल्लंघन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त टीप अनुसार आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त करते हुये उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स पामगढ़ सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राहुल अग्रवाल), ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1733)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220373/2021, दिनांक 16/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल - 4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 97,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पामगढ़ का दिनांक 11/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
- उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1050/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1050/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री राहुल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पामगढ़ 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-पामगढ़ 2 कि.मी. एवं अस्पताल खरसिया 29 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 324 मीटर, न्यूनतम 297 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 481 मीटर, न्यूनतम 480 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।
13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 97,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66.18	2%	1.33	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pamgarh	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Toilet	0.25
			Plantation with Fencing	0.28
			Total	1.33

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5253/2021 रायगढ़, दिनांक 07/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.83 कि.मी. की दूरी पर है।
- लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/ख.लि. -3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की



वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग एवं पहुच मार्ग में 700 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट एवं पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
- एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- नदी के पाट एवं पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
- सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए तथा सी.ई.आर. मद की वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम में जमा किया जाए।
- सी.ई.आर. के तहत एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं वन विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स टायंग सेण्ड माईन (प्रो.— श्री अहमद रजा), ग्राम—टायंग, तहसील—खरसिया, जिला—रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1734)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220377/2021, दिनांक 16/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—टायंग, तहसील—खरसिया, जिला—रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 421, कुल क्षेत्रफल - 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अनगुनिया, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जैमुरा का दिनांक 09/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1055/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री अहमद रजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-टायंग 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-टायंग 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 843 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय



12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 350 मीटर, न्यूनतम 280 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 396 मीटर, न्यूनतम 385 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 47 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ़बे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.14 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.91	2%	0.82	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Tayang	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for Toilets	0.32
			Total	0.82

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5527/2021/रायगढ़, दिनांक 21/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.21 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं वन विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बरभौना सेण्ड माईन (प्रो.-श्री मदन लाल अग्रवाल), ग्राम-बरभौना, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1740)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220887 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-बरभौना, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 182, कुल क्षेत्रफल-4.881 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कुरकेट नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 91,724 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मदन लाल अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभौना का दिनांक 08 / 11 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1059 / ख.लि.-3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058 / ख.लि.-3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058 / ख.लि.-3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 803 / ख.लि.-3 / रेत नीलामी / 2021 रायगढ़, दिनांक 13 / 04 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बरभौना 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बरभौना 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 531 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 515 मीटर, न्यूनतम 505 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 95 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 91,724 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.34 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

Bhush

			Rupees)	
43.9	2%	0.87	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Barbhauna	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.15
Total			0.90	

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,948 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.586 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5281/2021/रायगढ़, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.08 कि.मी. की दूरी पर है।
- लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 803/ख. लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।

Bhand

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं वन विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स मुरा "अ" सेण्ड माईन (प्रो.— श्री महेश कुमार गर्ग), ग्राम—मुरा, तहसील—खरसिया, जिला—रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1743)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220907/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम—मुरा, तहसील—खरसिया, जिला—रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल—4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अनगुनिया, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरा का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1057/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 801/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-मुरा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मुरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम

515 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 344 मीटर, न्यूनतम 315 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 161 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.22 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.3	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Murra	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.85

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुरकेट नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./8283/2021/रायगढ़, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 801/ख. लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व

परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं वन विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-धौराभाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1551)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 197220/2021, दिनांक 08/02/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धौराभाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 26,317.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष पालीवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 796/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 06/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3672/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2

खदानें, क्षेत्रफल 1.974 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3673/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. आशीष पालीवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1228/1 श्री मुकेश चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1216(पार्ट), 1217(पार्ट) श्रीमती विमला चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 1229(पार्ट) श्री नेपाल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4422 दुर्ग, दिनांक 11/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-धौराभाठा 1.6 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-धौराभाठा 1.6 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, माईनेबल रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,96,735 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

5,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,440 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,317	छष्टम	20,197
द्वितीय	25,046	सप्तम	19,991
तृतीय	25,271	अष्टम	10,054
चतुर्थ	24,218	नवम	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,518

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए माईनिंग प्लान अनुसार 293 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Dhaurabhata	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10

Bhaskar

		Running Water Facility for Toilet	0.10
		Plantation in School/Community Health Center Premises	0.10
		Total	0.80

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमवंत रहमतकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की संभावित आयु 5 वर्ष उल्लेखित है। जबकि वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन के विवरण में 10 वर्षों की योजना का उल्लेख है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सी.ई.आर. के विस्तृत प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।



(स) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 183/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हेरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकव्हेरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित नहीं है।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिरालेवा-बी (प्रो.- श्री घुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-छिरालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1603)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 203439/2021, दिनांक 14/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

Bhaskar

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छिरलेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,351 टन प्रतिवर्ष से 1,43,840 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 27/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31/12/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/ख.लि./अ.अनु./न.क्र./21 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
13/03/2020 से 30/06/2020 तक	10,191
01/07/2020 से 31/12/2020 तक	29,200

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 388/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019 नवा रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन 1872/क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018

महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, 3.2 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन 1414/क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** – भूमि शासकीय भूमि है। लीज श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2020 से 12/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2073 महासमुंद दिनांक 22/06/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-छिरालेवा 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम-छिरालेवा 0.55 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,43,226 टन, माईनेबल रिजर्व 1,51,366 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,43,798 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,840 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,136 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया



जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,43,840
द्वितीय	7,454

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 622 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य शेष है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram Panchayat Bhawan School, Village – Kotendarha	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.15
			Total	0.50

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सी.ई.आर. के प्रस्ताव का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःभराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज क्रमशः दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन 1111/क/खलि/अ.आ./न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर है।
2. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति मार्केट से क्रय (Packed drinking water) करके की जाएगी।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सी.ई.आर. के प्रस्ताव अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा रनिंग वॉटर की सुविधा के संबंध में कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःभराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 5) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 15, 16, 21 एवं 29) का पालन नहीं किया गया है।
6. उपरोक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार बेंच वाईस उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को अनुरोध किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन 1443/क/ख. लि./उ.प./21 महासमुंद, दिनांक 28/09/2019 द्वारा पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
 - 'उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 एवं नियम 58 का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 51(26) के तहत अनुज्ञाधारी को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5,000 रुपये अर्धदण्ड का चार गुणा रूपये 20,000 दिनांक 28/01/2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।
 - खनि निरीक्षक जांच एवं प्रतिवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना में बेंच निर्माण किया जाना था जो नहीं किया गया है। बेंच निर्माण के अंतर्गत 1,534 घनमी पत्थर खनिज में से 500 घनमीटर खनिज का परिवहन विधिसम्मत नहीं है शेष खनिज स्वीकृत क्षेत्र के अंदर स्टॉक रखा गया है साथ ही बगैर

विधि सम्मत बेंच निर्माण हेतु प्रावधानित क्षेत्र में से 500 घ.मी. अवैध रूप से निकासित किया गया है। जो कि वैधानिक नहीं है मान कर अर्थदण्ड रूपये 2,65,000 दिनांक 28.09.2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।”

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। परंतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया था:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्ष 2021 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 73/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/01/2022 द्वारा विगत वर्ष 2021 में 68,363 टन उत्पादन किया है।
3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-महासमुंद तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



(कलदियुस तिर्की)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, ग्राम-मजरकट्टा,
तहसील व जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 17,800
घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.89 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।



8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 33 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।



17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Majarkatta	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Total	1.05

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत


सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।


26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.